न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

चतराराम पुत्र सकाराम जी, जाति- मीणा, निवासी-केसरपुरा, तह. शिवगंज, जिला-सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 15/2019

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री आनन्द देव सुमन, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 10 दिसम्बर, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रकरण संख्या 14/2017 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 24.5.2019 बाबत ग्राम बडगांव के खसरा संख्या 286/14 रकबा 0.14 बीघा किस्म बंजर भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी तहसीलदार, शिवगंज के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को ग्राम बडगांव के खसरा संख्या 286/14 रकबा 0.14 बीघा किस्म बंजर भूमि का अतिक्रमी मानते हुए मौके से बेदखल करने व जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित करने में काननून भूल की गई है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानते हुए मौके से बेदखल करने के संबंध में पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 12.2.2018 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में राजस्व अपील संख्या:40/2018 चतराराम बनाम स्टेट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई पक्षकारान पारित निर्णय दिनांक 25.2.2019 के द्वारा अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.2.2018 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि विवादित भूमि के मौके व रेकर्ड अनुसार गहनता से इस तथ्य की जांच करे कि जब राजस्व नक्शें में उक्त आबादी भूमि व बिलानाम भूमि की तरमीम की हुई नही है एवं मौके पर पुरानी घनी आबादी वसी हुई है तथा आबादी व बिलानाम भूमि आपस में लगती हुई होने से मौके पर वास्तविक रुप से अपीलार्थी का कब्जा ग्राम बडगांव की बिलानाम बंजर भूमि पर ही है अथवा ग्राम पंचायत, केसरपुरा की आबादी भूमि पर काबिज है? तत्पश्चात् अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गुणावगुण पर विवेचन करते हुए

....पेज दो पर

पुन: विधि सम्मत निर्णय पारित करे। साथ ही, यह भी निर्देश दिये गये है कि उक्त पट्टे के आधार पर अपीलार्थी का विवादित भूमि पर वर्ष 1984 से पुराना कब्जा है तो विवादित भूमि का राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार नियमन किया जावे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.5.2019 को पारित कर अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानने में भूल की गई है। अधीनस्थ न्याालय ने यह गौर नही किया कि विवादित भूमि ग्राम बडगांव के खसरा संख्या 286/14 की बिलानाम बंजर भूमि नही होकर ग्राम केसरपुरा की आबादी भूमि है तथा अपीलार्थी के पिता सकाराम पुत्र वेलाजी मीणा, निवासी- केसरापुरा के स्वामित्व हक अधिकार की आवासीय पट्टेशुदा भूमि है जिसका ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा पट्टा संख्या 224 दिनांक 20.5.1984 को क्षेत्रफल 15080 वर्गफीट का जारी किया हुआ है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी गौर नही किया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी के पिता सकाराम पुत्र वेला जी का गत 50 वर्षो से आवासीय कब्जा हक अधिकार बिना किसी रोकटोक के चला आ रहा है तथा मौके पर अपीलार्थी अपने पिता के जरिये गत 50 वर्षो से निवास कर रहा है व मौके पर अपीलार्थी का आवासीय मकान बना हुआ है। यह कि उक्त भूमि ग्राम बडगांव की बिलानाम भूमि नही होकर ग्राम केसरपुरा की आबादी भूमि है व आबादी भूमि होने से अपीलार्थी के पिता को ग्राम पंचायत, केसरपुरा नियमानुसार पट्टा संख्या 224 दिनांक 20.5.1984 को क्षेत्रफल 15080 वर्गफीट का जारी किया गया है। यह कि अपीलार्थी के पिता सकाराम को ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा विवादित भूमि पर चार दिवारी निर्माण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक: 59 दिनांक 05.12.2007 को जारी किया गया है। इस प्रकार, अपीलार्थी का विवादित भूमि पर अपने पिता के जरिये व ग्राम पंचायत केसरपुरा द्वारा जारी उक्त पट्टे के अनुसार वर्ष 1984 से लगातार निर्बाध रुप से आवासीय कब्जा चला आ रहा है। यह कि विवादित भूमि के आस-पास मौके पर करीब 200 लोगों के आवासीय मकानात बने हुये तथा अपीलार्थी सहित उक्त सभी व्यक्तियों द्वारा अपने अपने मकानात में मूलभूत सुविधायें जैस विद्युत, पानी कनेक्शन आदि लिये हुये है तथा मौके पर सडक भी बनी हुई है। यह कि मौके पर घनी आबादी बसी होने से विवादित भूमि का नाप जोख व सीमाज्ञान संभव नही होते हुए भी तहसीलदार, शिवगंज ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानने में भूल की है। जबकि विवादित भूमि ग्राम बडगांव में स्थित नही होकर ग्राम केसरपुरा की आबादी भूमि में स्थित है तथा मौके पर घनी आबादी बसी हुई तथा ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा कई व्यक्तियों को आवासीय पट्टे भी जारी किये हुये है। इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित खसरा संख्या 286/14 की भूमि के संबंध में मौके की सही रुप से जांच व पैमाईश करवाये बिना ही अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानने में कानूनन भूल की गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि विवादित भूमि नगरपालिका, शिवगंज के परिधीय सीमा क्षेत्र में आती है व सिवायचक भूमि है जिस पर कार्यवाही करने का अधिकार तहसीलदार को नही है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि अपीलार्थी अपने पिता के जरिये विवादित भूमि पर ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 224 दिनांक 20.5.1984 के आधार पर मौके पर काबिज है, अपीलार्थी ने विवादित भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है, बल्कि अपीलार्थी उक्त आवासीय पट्टे के आधार पर मौके पर अपने पिता के समय से काबिज चला आ रहा है तथा विवादित भूमि का आवासीय उपयोग अपीलार्थी के पिता के समय से हो रहा है, इसलिये अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानकर अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नही की जा सकती है।

....पेज तीन पर

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि अपीलार्थी के पिता को ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा विवादित भूमि का पट्टा संख्या 224 दिनांक 20.5.1984 को जारी किया गया है तथा अपीलार्थी विवादित भूमि पर अपने पिता के जरिये वर्ष 1984 से मौके पर काबिज होकर आवासीय उपयोग व उपभोग कर रहा है तथा मौके पर अपीलार्थी का पुराना आवासीय मकान व कब्जा है, फिर भी यदि विवादित भूमि बिलानाम भूमि है तो भी अपीलार्थी अपने वर्ष 1984 से कब्जे के आधार पर विवादित भूमि को राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार नियमन कराने का अधिकारी है, इस कारण से अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी नही माना जा सकता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रूप-6) विभाग, जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.9(6)राज-6/2000/पार्ट/139 दिनांक 29.11.2019 के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की आबादी भूमि जो राज्य सरकार में निहित है का कब्जा संबंधित ग्राम पंचायत को संभलवाकर राजस्व रेकर्ड में आबादी दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। अत: अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.5.2019 को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि विवादित भूमि के मौके पर घनी आबादी बसी हुई होने के कारण विवादित भूमि की जरीब से सीमाज्ञान संभव नही होने के कारण भू अभिलेख निरीक्षक, शिवगंज, हल्का पटवारी बडगांव व हल्का पटवारी, केसरपुरा ने गूगल मेप को स्केल पर सुपर इम्पोज करके विवादित भूमि का सीमाज्ञान किया, जिसमें अपीलार्थी का अतिक्रमण ग्राम बडगांव के खसरा संख्या 286/14 रकबा 0.14 बीघा भूमि पर पाया गया। जिस पर हल्का पटवारी, शिवगंज द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2074 में ग्राम बडगांव के खसरा संख्या 286/14 रकबा 0.14 बीघा भूमि पर अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज में प्रस्तुत की गई है जिस पर अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया एवं सुनवाई का अवसर देते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 12.2.2018 को निर्णय पारित कर अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने के आदेश दिये गये। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्या 40/2018 चतराराम बनाम स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 25.2.2019 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के संबंध में पुन: जांच करवाकर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच विवादित भूमि राजकीय बिलानाम भूमि होने व नगरपालिका, शिवगंज के परिधीय सीमा में होने से विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि हल्का पटवारी, बडगांव द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2074 में ग्राम बडगांव के खसरा संख्या 286/14 रकबा 0.14 बीघा किस्म बंजर भूमि पर अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज में प्रस्तुत की गई है, जो भू अभिलेख निरीक्षक, शिवगंज, हल्का पटवारी, बडगावं व केसरपुरा की गूगल मेप को स्केल पर सुपर कम्पोज करके की गई सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत की गई है। हल्का पटवारी, बडगांव की उक्त रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायलय में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को विवादित भूमि पर अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया जाकर बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक

.....पेज चार पर

12.2.2018 के द्वारा अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 12.2.2018 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जो इस न्यायालय में राजस्व अपील संख्या: 40/2018 पर दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा उक्त राजस्व अपील संख्या: 40/2018 में पारित निर्णय दिनांक 25.2.2019 के अनुसार अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रकरण संख्या 14/2017 में पारित निर्णय दिनांक 12.2.2018 को निरस्त किया गया एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि विवादित भूमि के मौके व रेकर्ड अनुसार गहनता से इस तथ्य की जांच करे कि जब राजस्व नक्शें में आबादी भूमि व बिलानाम भूमि की तरमीम की हुई नही है एवं मौके पर पुरानी घनी आबादी बसी हुई है तथा आबादी व बिलानाम भूमि आपस में लगती हुई होने से मौके पर वास्तविक रुप से अपीलार्थी का कब्जा ग्राम बडगांव की बिलानाम बंजर भूमि पर ही है अथवा ग्राम पंचायत, केसरपुरा की आबादी भूमि पर काबिज है? तत्पश्चात् अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गुणावगुण पर विवेचन करते हुए पुन: विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

इस न्यायालय द्वारा उक्त राजस्व अपील संख्या: 40/2018 में पारित निर्णय दिनांक 25.2.2019 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुन: नंबर पर लिया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलाधीन प्रकरण की सुनवाई के दौरान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.4.2019 व 02.5.2019 को अपीलार्थी चतराराम एवं उसके अधिवक्ता उपस्थित हुये एवं दिनांक 15.5.2019 व 24.5.2019 को अपीलार्थी चतराराम उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से पुन: लिखित जवाब भी प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ न्यायालय में हल्का पटवारी, बडगांव द्वारा भी लिखित जवाब दिनांक 24.5.2019 को प्रस्तुत किया गया है। हल्का पटवारी, बडगांव द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब दिनांक 24.5.2019 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि मौके पर यह भूमि ग्राम बडगांव के खसरा संख्या 286/6 रकबा 10 बीघा किस्म आबादी ग्राम पंचायत, बडगांव के पास आई हुई है। मौके पर खसरा संख्या 286/6 में आबादी बसी हुई है, जो ग्राम पंचायत बडगांव की आबादी भूमि है। खसरा संख्या 286/14 बिलानाम भूमि ग्राम बडगांव व केसरपुरा की घनी आबादी से लगती हुई है, मौके पर वास्तविक रुप से चतराराम का कब्जा ग्राम बडगांव के बिलानाम बंजर भूमि खसरा संख्या 286/14 पर ही है। हल्का पटवारी, बडगांव के उक्त जवाब दिनांक 24.5.2019 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम बडगांव नगरपालिका, शिवगंज के परिधीय क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2019.12.13 12:03:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: